न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 59/2017 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
शेषमल पुत्र शिवलाल व्यास, ब्राहम्ण, निवासी – दुजाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत दुजाना जरिये सरपंच 2. मगनलाल पुत्र शिवलाल उर्फ शिवदान 3. कन्हैयालाल पुत्र शिवलाल उर्फ शिवदान 4. सरसो पत्नी स्व. खुमाकंवर 5. गोविन्द पुत्र स्व. खुमाशंकर जातिगण श्रीमाली ब्राहम्ण, निवासीगण दुजाणा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चौधरी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18/3/19

यह निगरानी प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुजाना पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 113 दिनांक 18.07.1987, मिसल संख्या 622/03.02.1987 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 387 दिनांक 23.07.1987 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधीवक्त प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम दुजाना में श्रीमालियों के बास में उसका एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को एक पैतृक मकान स्थित है। जिसका पट्टा संख्या 387 अप्रार्थी संख्या 2 मगनलाल, अप्रार्थी संख्या 3 कन्हैयालाल व अप्रार्थी संख्या 4 के पति व अप्रार्थी संख्या 5 के पिता स्व. खुमाशंकर जो की प्रार्थी के सगे भाई है, उन्होंने अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए तीनों के नाम जारी करवा दिया। उक्त पैतृक मकान में प्रार्थी का भी उतना ही हक व हिस्सा है, जितना की अप्रार्थी संख्या 2 से 5 का, लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को दरकिनार करते हुए उक्त मकान का पट्टा स्वयं के नाम जारी करवा दिया, जो विधी सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त है। प्रार्थी को जब उक्त विक्रय विलेख के संबंध में जानकारी हुई तो उसने ग्राम पंचायत दुजाना से उक्त पट्टा, प्रस्ताव व मिसल की नकलें चाही तो ग्राम पंचायत ने उक्त रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने बाबत उल्लेख किया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त मकान व अन्य सम्पति के संबंध में सिविल न्यायालय सुमेरपुर में वाद संख्या सीओ 19/2008 में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर निगरानी न्यायालय में पेश की है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत में अप्रार्थीगण द्वारा न तो प्रार्थना पत्र पेश किया गया, न ही कोई मौका रिपोर्ट बनाई गई, न ही आपत्ती इश्तिहार जारी किया गया, न ही कोई मिसल संख्या 622/03.02.1987 कायम की गई तथा न ही उपरोक्त कार्यवाहीयों एवं पट्टा जारी करने बाबत प्रस्ताव लिया गया। जबकि

जिला कलेक्टर, पाली

उपरोक्त प्रक्रिया की पालना किए जाने के आज्ञापक प्रावधान है। जिनकी पालना किए बिना ग्राम पंचायत कोई भी पट्टा जारी नहीं कर सकती है। जैर निगरानी पट्टे पर न तो ग्राम सेवक के, न ही किसी वार्ड पंच के हस्ताक्षर है, उक्त पट्टे पर मात्र सरपंच भारतसिंह के ही हस्ताक्षर है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा एंव प्रस्ताव प्रारम्भ से ही शुन्य होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जैर निगरानी आराजी को पैतृक होना उल्लेखित किया है, जबकि ग्राम पंचायत दुजाना द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी भूमि के संबंध में सत्यभासक स्वत्व का दावा रखने बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया है, न ही इस नियम के अनुसार जरिये निलामी जैर निगरानी भूमि का निर्वर्तन किया है, न ही उक्त भूमि पर बीस वर्ष से चालीस वर्ष अथवा इससे अधिक कब्जा होने बाबत साक्ष्य पेश किए गए है तथा नियम 266 के तहत विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग चालीस वर्षों से अधिक समय तक कब्जा होने पर तथा इससे कम होने पर विद्यमान बाजार दर का एक तिहाई भाग प्रभारित करने का आज्ञापक प्रावधान हैं। जिसकी पालना प्रश्नगत विक्रय विलेख के संबंध में नहीं की गई है, न ही निजी बातचीत संबंधी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। जैर निगरानी विक्रय विलेख पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है, ग्राम सेवक के नहीं है। इस बाबत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत दुजाना के पत्रांक ग्रा.पं.दु./2017–18/172 दिनांक 13.03.2018 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित ग्राम सेवक द्वारा विधिवत रिकार्ड का संधारण नहीं किया गया, न ही नियमों के अन्तर्गत विहित प्रकिया का पालन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दुजाना पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा जारी विक्रय विलेख संख्या 387 दिनांक 23.07.1987 जिसमें प्रस्ताव संख्या 113 दिनांक 18.07.1987, मिसल संख्या 622/03.02.1987 उल्लेखित है, को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत दुजाना को निर्णय की प्रति प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली